रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 1998/आषाढ़ 4, 1920
No. 392] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1998/ASADHA 4, 1920

गृह मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 25 जून, 1998

का.आ. 536(अ).—का.आ. सं. 359(अ) दिनांक 30, अप्रैल 1998 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 17012/3/95 आई एस (डी-1) दिनांक 30 अप्रैल 1998.

(xiii) "गुरुद्वारा डेरा साहब मठ" के स्थान पर "गुरुद्वारा डेरा साहब माता गंगा जी", 'बादली' के स्थान पर "बडाली", "छेरता" के स्थान पर "छेहरटा", "खादूर" के स्थान पर "खदूर", "गोविंदवाल" के स्थान पर "गोइंदवाल", "बाम्बली" के स्थान पर "बाओली", "थाटा" के स्थान पर "ठट्ठा", "वीर" के स्थान पर "बीड़" पढ़ा जाये।

(xvi) "गुरुसार" के स्थान पर "गुरुसर" व "पठानकोट तहसील फूल पिआय" के स्थान पर "पठानकोट तहसील में फूल पिआरा पढ़ा जाये।

(xv) "दासूया" के स्थान पर "दसुया", "गणना" के स्थान पर "गरना" व "साहिदान" के स्थान पर "शहीदां" पढ़ा जाये।

(xvi) "मच्छीवाड़ा" के स्थान पर "माछीवाड़ा", "छुबाडा" के स्थान पर "चुबारा", "छुहासपुर" के स्थान पर "चुहड़ पुर", "झार साहब" के स्थान पर "झाड़ साहब", "वाहिलाना" के स्थान पर "टाहलियाना", "करानो" के स्थान पर " "कराना" व "छेविन और दासविन" के स्थान पर "छेंवी और दसवीं" पढ़ा जाये।

(xvii) "बाजिदपुर" के स्थान पर "बजीदपुर" व "गुरुसार बाजिदपुर" के स्थान पर "गुरुसर बजीदपुर" पढ़ा जाये।

(xviii) "कटलगढ़" के स्थान पर "कतलगढ़" "घोटाला" के स्थान पर "कोटला" व "भट्टल" के स्थान पर "भट्टा" पढ़ा जाये।

(xix) "नौंबिन" के स्थान पर "नौवीं", "नाहिल" के स्थान पर "नाभा", "बीरबौरन" के स्थान पर "बीर बौड़ा", "नामा" के स्थान पर "नाभा" व "बौरन" के स्थान पर "बौरा" पढ़ा जाये।

(xx) "हाजीस्तन" के स्थान पर "हाजीरतन", "दाखिन" के स्थान पर "दसवीं", "दाश्यिन किला मुबारक" के स्थान पर "दसवीं किला मुबारक भटिंडा" पढ़ा जाये।

(xxi) "छेबिन" के स्थान पर "छेवीं पढ़ा जाये।

(xxii) "देशियान संग" के स्थान पर "डेसीआं संग", "सहित" के स्थान पर "साहिब", "रामगढ़ियन" के स्थान पर "रामगढ़ीयां" व "पंजवीन" के स्थान पर "पंजवी" पढ़ा जाये। तथा "जालंधर-2 तहसील" को मिटा कर पढ़ा जाये।

(xxiii) "सिंध बस्ती" के स्थान पर "सिद्ध बट्टी", "चौबिन" के स्थान पर "छेवीं", "सतविन" के स्थान पर "सठवीं", "दसबिन" के स्थान पर "दसवीं", "नौबिन" के स्थान पर "नौवीं" व "थानेश्वर" के स्थान पर "थानेसर" पढ़ा जाये।

(xxiv) "दसविन" के स्थान पर "दसवीं", "मोहर" के स्थान पर "मेहर" तथा "खुर्रमपुर माजरी" के स्थान पर " "खुरमपुर माजरी" पढ़ा जाये।

(xxv) "पोटली" के स्थान पर "पहली", "मांदा" के स्थान पर " "नाढ़ा" तथा "दासविन" के स्थान पर "दसवीं", पढ़ा जाये।

[सं. 17012/3/95-आई.एस. (डी-I)]

शिव बसंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th June, 1998

S.O. 536 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 17012/3/95-IS (D. I) dated 30th April, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. No. 359 (E) dated 30th April, 1998:

(i) Clause (xiii) line 1.
For "Gurudwara Dara Sahib Math Ganga Ji" *read* "Gurudwara Dera Sahib Mata Ganga Ji".

(ii) Clause (xxv) line 1.
For "Caswin" *read* "Daswin".

(iii) Clause (xxv) line 2.
For "Mada" *read* "Nada".

[No. 17012/3/95-IS (D. I)]

SHIV BASANT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998